आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित

07.3.25

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A. Case No.- 03/2021-22

पवन मंडल एवं अन्य **बनाम** फाल्गुनी पाठक एवं अन्य

आदेश

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक–09.09.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

उक्त Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक–09.09.2021को पारित आदेश के द्वारा अपत्तिकर्त्ता पवन मंडल एवं अन्य के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है तथा अंचल अधिकारी, नारायणपुर को आवेदनकर्त्ता एवं अपत्तिकर्त्ता दोनों के आपसी बदलैन किये गये भूमि का नामांतरण करने का आदेश दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता मौजा–जमुनियाचक का जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे सेटलमेंट में मौजा–जमुनियाचक, खाता संख्या–02 के खतियानी रैयत गौपीनाथ मंडल, राधानाथ मंडल, बाहदुर मंडल एवं दुखु मंडल, पिता–शिबू मंडल अभिलेखित है। उक्त खाता संख्या में खतियानी रैयत के वंशज गत सर्वे सेटलमेंट से वंशानुगत दखल कब्जा में है। वर्तमान अपीलकर्त्तागण जीवित वंशज होने के कारण दाग संख्या–207 सहित उक्त सम्पत्ति पर प्रातकृतिक अधिकार है एवं लगातार दखल कब्जा में है। हाल का लगान भी जमा किया गया है, जो कि खतियानी जमीन पर दखल कब्जा का सरकारी साक्ष्य है। उत्तरवादी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में दिनांक–14.09.2018 को नामांतरण हेतु मौजा–जमुनियाचक के दाग संख्या–207 के अंश रकवा–1.51 एकड़ जमीन के लिए आवेदन दाखिल किया गया, जो Mutation Case No.-10/2018-19 के रूप में दर्ज है। अपीलकर्त्ता को इस वाद की सूचना होते ही अनुमण्डल न्यायालय में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया कि उत्तरवादीगण उक्त भूमि पर दखल कब्जा में नहीं है। दाग संख्या–207 पर अपीलकर्त्तागण द्वारा घर बनाया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के पेड़ आम, नीम, करंज, पितिंगा एवं शेष भूमि पर कोदो, कुर्थी इत्यादि की खेती किया जाता है। अंचल अधिकारी, नारायणपुर के पत्रांक–876/रा0, दिनांक–17.08.2019 में अंकित है कि "जाँच के क्रम में जमुनियाँचक के उपस्थित ग्रामिणों ने बताया कि दाग संख्या–207 पर पवन मंडल, पिता–स्व0 गोपीनाथ मंडल वो अन्य के द्वारा ही एक ईंट के दीवार तथा एस्बेस्टर का छावनी से बना घर तथा 207 दाग नं0 के भूमि पर पवन मंडल वो अन्य के द्वारा कुर्थी का लगाया हुआ पौधा पाया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में क्रि0मिस0 केश नं0–497/18 के तहत मामला लंबित है।..... महाशय, राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोन किया आवेदक अमरेन्द्र नाथ पाठक ने बदलैन अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के Sett Case No.-121A/1937-38, दिनांक–13.12.1938 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये इतने लंबे अरसे के बाद नामांतरण की माँग करना सही प्रतीत नहीं हो रहा है। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया जाता है।" अपीलकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि बदलैन में अपीलकर्त्तागण की ओर से दिये गये 1.51 एकड़ भूमि के बदले उत्तरवादीगण की ओर से 1.51 से कम भूमि दिया जाना अंकित है। विज्ञ अधिवक्ता का कहना है उभयपक्ष के तथाकथित बदलैन होने के इतने लंबे समय के बाद नामांतरण हेतु प्रर्थाना किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रश्नगत जमीन पर अपीलकर्त्ता के पिता–गोपीनाथ मंडल द्वारा एक घर एवं चहरदीवारी बना कर दखल कब्जा में है, जबकि उत्तरवादी फाल्गुनी पाठक एवं अन्य का दखल कब्जा नहीं है। उभयपक्षों की बीच नामांतरण से पहले अपने–अपने बदलैन जमीन पर बाँसगड़ी delivery of possession होना आवश्यक है। किसी भी पक्ष को बदलैन जमीन पर delivery of possession प्राप्त नहीं है। उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने जमीन पर गत सर्वे खतियान के आधार पर पूर्ण लगान दिया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बदलैन होने के इतने लंबे समय के पश्चात् नामांतरण हेतु प्रर्थाना किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

उत्तरवादी फाल्गुनी पाठक एवं अन्य के विज्ञ अधिक्ता सुना। उनका कहना है कि उत्तरवादीगण मौजा–रायडीह के जमाबन्दी नं0–33 के गत सर्वे खतियानी के जमाबन्दी रैयत है एवं

सा0-जामुनियाँचक है। मौजा-जामुनियाँचक, जमाबन्दी संख्या-02, दाग संख्या-207 कुल रकवा-3.12 एकड़, किस्म बाड़ी दोयम में से अंश रकवा 1.51 एकड़ जिसका खतियानी रैयत गोपीनाथ मंडल दीगर है एवं मौजा-रायडीह के खाता संख्या-33, दाग संख्या-540 के 0.80 एकड किस्म धानी दौयम, दाग संख्या-539 के 0.47 एकड़ किस्म बाड़ी दौयम, दाग संख्या-541 से 0.24 एकड़ किस्म धानी सेम जिसका खतियानी रैयत सहदेव पाठ्क है। उभयपक्ष के बीच अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा के Settlement Case No.-121A/1937-38 में दिनांक-13.12.1938 को पारित आदेश के द्वारा बदलैन की स्वीकृति के पश्चात् सहदेव पाठ्क को मौजा-जामुनियाँचक के दाग संख्या-207 का अंश रकवा-1.51 एकड़ भूमि प्राप्त है। उक्त जमीन के नामांतरण हेतु अमरेन्द्र नाथ पाठ्क, प्रभाष चन्द्र पाठ्क एवं बलराम पाठ्क सभी के पिता-स्व0 सहदेव पाठ्क द्वारा आवेदन दिया गया जो अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Mutation Case No.-10/2018-19 के रूप में दर्ज है। अंचल अधिकारी, नारायणपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक-09.09.2021 को पारित आदेश द्वारा आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता दोनों के आपसी बदलैन किये गये भूमि का नामांतरण करने हेतु अंचल अधिकारी, नारायणपुर को आदेश दिया गया।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के Sett Case No.-121A/1937-38 में दिनांक-13.12.1938 को पारित आदेश द्वारा मौजा-जामुनियाँचक, जमाबन्दी संख्या-02, दाग संख्या-207 किस्म बाड़ी दोयम में से अंश रकवा 1.51 एकड़ जिसका खतियानी रैयत गोपीनाथ मंडल दीगर है एवं मौजा-रायडीह के खाता संख्या-33, दाग संख्या-544 के 0.80 एकड़, दाग संख्या-539 के 0.47 एकड़, दाग संख्या-541 से 0.24 एकड़ जिसका खतियानी रैयत सहदेव पाठ्क है के बीच भूमि का आपसी बदलैन प्राप्त हुआ। उभयपक्षों द्वारा अपने पूर्वजों के जमीन का लगान दिया जा रहा है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक-09.09.2021 को पारित आदेश में अंकित है कि "...उक्त आदेश दिनांक-13.12.1938 के विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील किया गया ऐसा प्रतीत नहीं होता है।..." पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक-09.09.2021 को पारित आदेश में अंकित है कि "...आपत्तिकर्त्ता के आवेदन के आलोक में तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित सेटलमेन्ट वादसंख्या-121A/1937-38 गोपनाथ मंडल बनाम सहदेव पाठ्क का Review करना विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है। अतएव आपत्तिकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, नारायणपुर को आदेश दिया जाता है कि चूँकि 1872 के अधिनियम के तहत आवेदक को भोग अधिकार प्राप्त है तथा वाद प्रारंभ होने तक उभयपक्ष बदलैन की भूमि पर दखलकार रहे थे। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता दोनों की आपसी बदलैन किये गये भूमि का नामातंरण करना सूनिश्चित करें।..." इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक-09.09.2021 को पारित आदेश न्यायसंगत है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Mutation Case No.-10/2018-19 में दिनांक-09.09.2021 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Seen Trial Ad. 04/04/2025

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by KUMUD SAHAY
Date: 2025.04.08 19:07:51 +05:30
Location: 192.168.30.106